रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 1994/वैशाख 22, 1916

No. 208] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 1994/VAISAKHA 22, 1916

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1994

सा.का.नि. 455(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा (1) श्री भूपिन्द्र कुमार और (2) श्री के. मधु सूदन रेड्डी को विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31-3-1994 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 361(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 15 और उसकी प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"16. श्री भूपिन्द्र कुमार— "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए

17. श्री के मधुसूदन रेड्डी— "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए।"

[फा.सं. पीटी-18011/8/93-पीटी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1994

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints (1) Shri Bhupinder Kumar and (2) Shri K. Madhusudan Reddy as Trustees representing "Other Interests" on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing), No. GSR 361(E) dated 31-3-1994.

2. In the said notification after serial no. 15 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely :—

"16. Sh. Bhupinder Kumar—Representing "Other Interests"
17. Sh. K. Madhusudan Reddy—Representing "Other Interests"."

[F. No. PT-18011|8|93-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1994

सा.का.नि. 456(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 31) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री आनन्द जैन को जवाहर लाल नेहरू पत्तन के न्यासी बोर्ड में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक न्यासी के रूप में नियुक्त

करती है और भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31 मार्च, 1993 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 354(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 18 और उसकी प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी अर्थात् :—

"19. श्री आनन्द जैन—"अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

[फा. सं. पी टी-18011/1/91-पी टी]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1994

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said Section, the Central Government hereby appoints Shri Anand Jain as a Trustee representing 'Other Interests' on the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. GSR 354(E), dated 31st March, 1993.

2. In the said notification after serial no. 18 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely :—

"19. Shri Anand Jain—Representing 'Other Interests'. ".

[F. No. PT-18011|1|91-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994